दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 21-07-2025

नाबालिग चला रहा था गाड़ी, हाई कोर्ट ने कहा- बीमा कंपनी जिम्मेदार, 13.65 लाख देना होगा

तीन महीने में मुआवजा देने कहा, मालिक से वसूली कर सकती है कंपनी

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले में बीमा कंपनी ने यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि नाबालिग वाहन चला रहा था। इस वजह से वाहन का मालिक जिम्मेदार है न कि बीमा कंपनी। याचिका पर दिए गए फैसले में जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा है कि भले ही वाहन चला रहा ड्राइवर नाबालिग था, लेकिन बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा देने से बच नहीं सकती। कंपनी को तीन माह में मुआवजा देने और इसके बाद वाहन मालिक से वसूली करने को कहा गया है।

बिलासपुर में दो साल पहले बाइक पर जा रहे युवक को दूसरी बाइक चला रहे नाबालिग ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन लगाया था। ट्रिब्यूनल ने परिजन को 13 लाख 65 हजार 80 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।